



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

प्रो. एच. बी. पटेल

कुलसचिव (कार्यवाहक)

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

स्पीड पोस्ट/रजि. डाक/हाथ द्वारा

दिनांक: 09.12.2022

सार्वजनिक सूचना

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में छात्र परिषद एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है।

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने लिंगदोह समिति के अनुशंसा के उपरांत छात्र परिषद के सृजन, इसकी संरचना, कार्य व शर्तें इत्यादि निर्धारित करने हेतु छात्र परिषद् विनियम - 2022 नामक विनियम का मसौदा निर्मित किया है।

मसौदा विनियम 2022 हितधारकों के विचारों/सुझावों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cug.ac.in पर उपलब्ध है।

कृपया अपने सुझाव/टिप्पणियाँ लिखित में डीएसडब्ल्यू कार्यालय में 20.12.2022 तक भेज दें।

प्रो. एच. बी. पटेल
09/12/22

कुलसचिव (कार्यवाहक)

सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076

Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in